न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विनोद कुमार(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
84/2023	06.01.2023	24.08.2023

उनवान

1. नीता उर्फ रूहानी पुत्री पुरूषोतम नन्दवानी निवासी हनुमान मन्दिर के पीछे वाली गली नाथद्वारा सराय भोपालगंज भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।

—— प्रार्थी

बनाम

1. चांदी पत्नी रामचन्द्र कीर निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. रामचन्द्र पिता नन्दा कीर निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्री पुरूषोतम पिता आलूमल नन्दवानी निवासी हनुमान मन्दिर के पीछे वाली गली नाथद्वारा सराय भोपालगंज भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
4. रामा पुत्र नन्दा कीर निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाडा।
5. सुडी पत्नी रामा कीर निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाडा।
6. काना पुत्र धन्ना कलाल निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाडा।
7. गेखी पुत्री हजारी कलाल निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाडा।
8. ठमु पुत्री हजारी कलाल निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाडा।
9. प्यारा पुत्री हजारी कलाल निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाडा।
10. बरजी पत्नी नारायण कलाल निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाडा।
11. बालु पुत्र हजारी कलाल निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाडा।
12. भगवान पुत्र नन्दराम विश्नोई निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाडा।
13. मदनलाल पुत्र नारायण कलाल निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाडा।
14. रामलाल पुत्र नंदराम विश्नोई निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाडा।
15. रामा पुत्र धन्ना कलाल निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाडा।
16. शंकर पुत्र धन्ना कलाल निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाडा।
17. सोसर पुत्री हजारी कलाल निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाडा।
18. सोहन पुत्र धन्ना कलाल निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाडा।
19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—— विपक्षीगण

उपस्थितः—अधिवक्ता प्रार्थीया नरेश कुमार मेघवंशी
अप्रार्थी सं0 03 उपस्थित
अन्य अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम::—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कोदूकोटा प0ह0 कोदूकोटा भू अभिलेख निरीक्षक सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2073—2076 के खाता संख्या 502 की अभिलिखत आराजीयात आराजी संख्या 4036/662 रकबा 0.2529 हैक्टेयर किता 01 रकबा 0.2529 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की हैं।

और अप्रार्थीगण आराजियात जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा—चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 03 उपस्थित ईकबालिया जवाब पेश किया जिसे शामील फाईल किया गया। अन्य अप्रार्थीगण आज दिनांक 24.08.2023 को बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। अप्रार्थी संख्या 03 ने प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नही की है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन् किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हें आराजियात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन(पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तथा तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा कोदूकोटा प0ह0 कोदूकोटा भू अभिलेख निरीक्षक सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 502 की अभिलिखत आराजीयात आराजी संख्या 4036/662 रकबा 0.2529 हैक्टेयर किता 01 रकबा 0.2529 हैक्टेयर भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका व मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमाकंन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 24.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा